



5.2001 103
03-219



जय श्याम



निस्त किया गया



जय श्याम

अतिरिक्त आदेश दिनांक 18-01-19 वाकत लखनऊ
वाकत अन्तर्गत दरमा 2000 रु. का अन्तर्गत
रखिला - 2006. का-मुक्तिवाकत लखनऊ -
T201910580100155, अतिरिक्त आदेश -
पश्चिम गैंग गंगना लखनऊ लखनऊ
वाकतवाकत अतिरिक्त अन्तर्गत
श्रीमती महारानी लखनऊ - गैंग गंगना
लखनऊ लखनऊ अतिरिक्त अन्तर्गत
रखिला

अन्तर्गत आदेश की
हायादति रखलन

निर्णीत दिनांक
18-01-19



संयोजित रूप से प्रकाशित किया गया है

आदेश पत्रक

न्यायालय: उपजिलाधिकारी

अपठक: अखिल, अजमेर - रायबरेली, तहसील: अक्षराजगंज

काद संख्या: 60155/2019

कंप्यूटरीकृत काद संख्या: 1201910540100153

बीमती महाराना बनाम राज मठा

आदेश संख्या: 80, अधिनियम - 37/1957 राज्यन्य संहिता - 2006

न्यायालय उपजिलाधिकारी महाराजगंज, रायबरेली।

काद संख्या - 80-2019
कंप्यूटरीकृत काद संख्या -

अपठक संख्या - 60155/2019
काद संख्या - 60155/2019
तहसील: महाराजगंज जिला: रायबरेली

बीमती महाराना

बनाम
निर्भव

मांखरामा

आदेश संख्या 80 बीमती महाराना बनाम राज मठा के आदेश दिनांक 20-11-18 को इस आदेश का परिणाम दिया गया कि इस सेलगी परिषद गांव की भूमि काद संख्या 60155/2019 का 1/2 भाग रकबा 0.250880 बीघर संवर्धन-विकास परियोजना अधिनियम 37/1957 के तहत अपने हिस्से पर आवंटित पंजीकृत है। इस भूमि पर भूमि काद संख्या नहीं हो रहा है। एक परिषद में कोई भूमि काद की संभवता नहीं है। इस उपरोक्त भूमि को आधिकारिक भूमि घोषित करने की आवश्यकता है।

परिषदी की जांच की तहसीलदार महाराजगंज से कराई गयी। तहसीलदार महाराजगंज ने अपने जांच आदेश दिनांक 27-12-18 द्वारा बताया कि इस सेलगी परिषद गांव धरणा कुशवाहा की खाली 1424-1429 की खाल संख्या 806 की खाल संख्या 2001नि/0.501760 का 1/2 भाग रकबा 0.250880 बीघर में खाली नहीं की जा सकती है। इस भूमि आधिकारिक घोषित की है। बाउंडरी तथा सिमा बने हुए है। इस भूमि सुरक्षित भूमि नहीं है। इस भूमि आधिकारिक घोषित करने में शामिल है। इस भूमि की सिमा, ऊंचाई 0.250880 का संख्या 2000000/- होना है। सिमा: परिषद 3000/मीटर भूमि गुणा की आख्या प्रति बरस हरे इस भूमि काद संख्या 2001नि/0.501760 का 1/2 भाग रकबा 0.250880 बीघर इस सेलगी परिषद गांव की आधिकारिक भूमि घोषित करने की संस्तुति सहित आख्या घोषित की है।

परिषदी द्वारा गांव संख्या 2001नि/0.501760 का 1/2 भाग रकबा 0.250880 का निमानुसार मीटर भूमि गुणा 3000/- निर्धारित क्षेत्राधिकार 00291010000602 बैंक आक संख्या भाखा महाराजगंज रायबरेली में बालम संख्या जी-01 दिनांक 12-01-18 द्वारा एक कर नृत बालम की प्रती पंजीकृत किया गया है।

एकतरफा पर उपरोक्त आदेशों व तहसीलदार महाराजगंज की आख्या दिनांक 27-12-18 से स्पष्ट है कि इस सेलगी परिषद गांव की खाल संख्या 1424-1429 की खाल संख्या 806 की खाल संख्या 2001नि/0.501760 का 1/2 भाग रकबा 0.250880



कमी: लक्ष्मीनारायण भूमिदार द्वारा आवेदन है। प्रसिद्धी द्वारा प्राप्त सं. 2009मि/0500000 का 1/2 भाग सख्या 0.250000 पर पक्का निर्माण करने का अनुमतिपत्र व दीवार व फाउंडेशन निर्मित है। विमान संकेत नहीं की जा सकती है। उक्त भूमि आनुवंशिक एकात्म की है। उक्त भूमि सुरक्षित भूमि नहीं है। उक्त भूमि आनुवंशिक कलेक्टर ने प्रमाण प्रस्तुत है। उक्त भूमि की सर्विस, जल संचालन व 20000 का वीर भूमिक शुल्क 2000/- निष्पत्तुकार प्राप्त कर कलेक्टर की पूरा प्रति प्रस्तुत है। राज्य की रूप में प्रसिद्धी द्वारा कलेक्टर भूमि की खोटी विषय लेखक द्वारा संचालित, व महासचिवार कलेक्टर का कलेक्टर-पत्र इस प्रकार का कि एकात्म भूमि को स्थानिक व आनुवंशिक प्रमाणित कर दिया जाने सुनिश्चित की जाकर ही आवेदन नहीं है। ये अधिका के प्रसिद्धी का कलेक्टर-पत्र अधिकार का ही अधिकार किया जाने लगे है।

आदेश

जब लक्ष्मीनारायण महासचिवार की प्रसिद्धी आदेश दिनांक 27.12.18 के अन्तर्गत पर प्रसिद्धी का कलेक्टर-पत्र 20.11.18 का आनुवंशिक/कलेक्टर संदिग्ध-2000 अधिकार का ही अधिकार किया जाता है। इस संदर्भ में एकात्म गांव परमाणु कलेक्टर का प्रसिद्धी महासचिवार द्वारा सचिवारी की प्रसिद्धी 1424-1420 पर की जाकर सख्या 000 की प्रसिद्धी सं. 2009मि/0500000 का 1/2 भाग सख्या 0.250000 पर अधिकार कलेक्टर की प्रसिद्धी महासचिवार का ही अधिकार प्रसिद्धी द्वारा भूमि को सुरक्षित व आनुवंशिक भूमि प्रमाणित किया जाता है। लक्ष्मीनारायण महासचिवार की प्रसिद्धी दिनांक 27.12.18 का कलेक्टर-पत्र इस आदेश का अधिकार का होगा। आदेश की प्रति एकात्मकार महासचिवार को आवश्यक अनुमति देना प्रमाणित की जाए। आदेश की ही प्रमाणित प्रसिद्धी महासचिवार महासचिवार को इस प्रकार की प्रमाणित है कि एकात्मकार कलेक्टरों ने निष्पत्तुकार कलेक्टर अन्तर्गत कलेक्टर एक प्रति अपने कलेक्टर के सुरक्षित रखें एक प्रति इस न्यायालय की अधिकार प्राप्त करें। कलेक्टर का अन्तर्गत कलेक्टर अधिकार प्रमाणित में उचित हो।

(श्रीमती शालिनी प्रभाकर)
उपजिलाधिकारी, महासचिवार
रायबरेली

उक्त निर्णय एवं आदेश आज दिनांक _____ को सुप्रीम न्यायालय में हस्तान्तरित एवं कलेक्टरित किया गया।



आदेश प्रमाणित (10)
दिनांक 04.01.2019
विमान संकेत 61-2-05
निर्माण विभाग 07-2-05
सूचना विभाग 07-2-05
93
अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया

(श्रीमती शालिनी प्रभाकर)
उपजिलाधिकारी, महासचिवार
रायबरेली

अनाधिकृत प्रमाणित
रीज (मि.)
उपजिलाधिकारी-रायबरेली